कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा श्रीगंगानगर

क्रमांक – जिशिअ/प्राशि/गंगा/मान्यता/12/1280 दिनांक – 23/11/12

(आर.टी.ई. एक्ट के अन्तर्गत पुनः पंजीयन)
मान्यता कोड संख्यांक 0363

प्रबन्धक,
शहीद भगत सिंह शिक्षण संस्थान,
बींझबायला।

विषय – निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा–18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम II के उप नियम (4) के अधीन विधालय का मान्यता प्रमाण –पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके दिनांक **30.03.12** के आवेदन और इस सम्बन्ध में विधालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिदेश से मैं **सरस्वती ग्रामोत्थान विद्यापीठ कान्वेंट स्कूल,बीझबायला, पदमपुर (अंग्रेजी माध्यम)** को दिनांक 24.12.12 से 24.12.15 दिनांक तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के लिए अन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूं। उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो को पूरा किये जाने के अध्यधीन है :–

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा–8 के पश्चात मान्यता/संबंधन के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विधालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 (उपाबन्ध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपाबन्ध 2) के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. विधालय कक्षा 1 में, उस कक्षा के बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस–पड़ौस के कमजोर वर्गो और अलाभप्रद समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हे निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
4. पैरा–3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए, विधालय को अधिनियम की धारा–12 (2) के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विधालय एक प्रथक बैक खाता रखेगा।
5. सोसायटी/विधालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
6. विधालय किसी बालक को, उसकी आयु का प्रमाण न होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा। यदि ऐसा प्रवेश जन्म स्थान, धर्म, जाति या प्रजाति या इनमें किसी एक उपलब्ध/निर्धारित आधार पर उत्तरवर्ती चाहा गया है।
7. विधालय सुनिश्चित करेगा कि :–
   - (I) प्रवेश दिए गये किसी भी बालक को, विधालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं किया जायेगा या उसे विधालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
   - (II) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीडन के अध्यधीन नहीं किया जायेगा।
   - (III) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
   - (IV) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम–23 के अधीन अधिकथित किए अनुसार एक प्रमाण–पत्र प्रदान किया जायेगा।
   - (V) अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निःशुक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों का समावेश किया जाना ।
   - (VI) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (I) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु और यह कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं है, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूतम अर्हताएं अर्जित करेगें।

जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि.)
श्रीगंगानगर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

(VII) अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (I) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्त्तव्यों का पालन करता है, और

(VIII) अध्यापक स्वंय को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेगें।

8. विधालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकाधिक पाठ्यचर्चा के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
9. विधालय अधिनियम की धारा –19 के अधिकथित, विधालय में उपलब्ध प्रसुविधाओं के अनुपात में विद्यार्थियों का नामांकन करेगा।
10. विधालय अधिनियम की धारा–19 में यथानिर्दिष्ट विधालय के मानकों और संनियमों को बनाये रखेगा। अन्तिम निरीक्षण के समय प्रतिवेदन की गई प्रसुविधाऐं निम्नानुसार है :–
    विधालय परिसर का क्षेत्र **12250 वर्गफुट**
    कुल निर्मित क्षेत्र **7250 वर्गफुट**
    क्रीडा स्थल का क्षेत्रफल **5000 वर्गफुट**
    कक्षा कमरों की संख्या **12**
    प्रधानाध्यापक–सह–कार्यालय–सह –भंडार कक्ष **1**
    बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय **4**
    पेयजल सुविधा
    मिड–डे–मील पकाने के लिए रसोई **1**
    बाधा रहित पहुंच
    अध्यापक पठन सामग्री/क्रीडा खेलकूद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता
11. विधालय के परिसर के भीतर या उसके बाहर विधालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाऐं नहीं चलाई जाएंगी।
12. विधालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
13. विधालय को राजस्थान सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1958 के अधीन पंजीकृत किसी सोसायटी द्वारा या राजस्थान लोक न्यास अधिनियम 1959 के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
14. विधालय को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समूह या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
15. विधालय के लेखाओं की चार्टर्ड अकाउंटेट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा, श्रीगंगानगर को भेजी जानी चाहिए।
16. आपके विधालय को आंवटित **मान्यता कोड संख्यांक 0363** है। कृपया इसे नोट कर ले और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इसका उल्लेख करें।
17. विधालय ऐसे प्रतिवेदन और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय समय पर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर/ जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा श्रीगंगानगर द्वारा अपेक्षित हों और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत , अनुपालना को सुनिश्चित करने या विधालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किये जाऐं।
18. सोसायटी के पंजीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाऐं।
19. संलग्न उपाबन्ध– III के अनुसार अन्य कोई शर्त।

भवदीय,

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रा0 शि0 श्रीगंगानगर

जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि.)
श्रीगंगानगर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

ई–मेल/आज ही जारी हो।

राजस्थान सरकार
स्कूल शिक्षा (ग्रुप–6) विभाग

क्रमांक प.12 (6) शिक्षा–6/आरटीई दिशा निर्देश /2014 पार्ट   जयपुर दिनांक 5-3-18

1. निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

@ RTE
14/3/18

विषय : आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा–18 एवं 19 के तहत गैर–सरकारी विद्यालयों को गत सत्रों में दी गयी मान्यताओं के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।

कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा
राजस्थान–बीकानेर
14 MAR 2018
2141 138

महोदय,

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 राज्य में 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ है तथा राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 दिनांक 29.03.2011 को अधिसूचित किए गए हैं । गैर–सरकारी विद्यालयों की कक्षा–8 तक की मान्यता के सम्बन्ध में राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्तें आदि) नियम, 1993 को संशोधित कर नवीन नियम दिनांक 21.06.2011 को अधिसूचित किये गए ।

अधिनियम की धारा–18 में प्रावधान है कि अधिनियम लागू होने के बाद कक्षा–8 तक के लिए बिना मान्यता प्रमाण–पत्र के किसी भी विद्यालय की स्थापना एवं संचालन नही किया जाएगा तथा अधिनियम की धारा 19(1) में प्रावधान है कि यह विद्यालय अधिनियम की अनुसूची में दिए गए मान व मानकों को पूरा किए बिना स्थापित नही किए जाएँगे।

अधिनियम की धारा 19(2) में प्रावधान है कि जो विद्यालय (प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च माध्यमिक) अधिनियम के लागू होने से पूर्व से स्थापित हैं तथा विभाग से मान्यता प्राप्त हैं, वह सभी विद्यालय अपने स्वयं के व्यय पर प्रारम्भिक शिक्षा हेतु अधिनियम की अनुसूची में वर्णित मान व मानकों को अधिनियम में निर्धारित की गयी अवधि से पूर्व पूरा करेंगे ।

निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर द्वारा अवगत कराया गया है कि राज्य मे आरटीई अधिनियम, 2009 एवं नियम, 2011 लागू होने के बाद भी कुछ जिलों में गैर–सरकारी विद्यालयों को नवीन मान्यता भी 1 या 2 या 3 वर्ष की अवधि के लिए अस्थाई रूप से जारी कर दी गयी तथा निर्धारित अवधि में मान व मानकों को पूरा करने की शर्त जोड़ दी गयी जबकि यह विद्यालय मान्यता दिए जाने के समय भी मान व मानक पूरे करते थे । वर्तमान में इन विद्यालयों को मान्यता प्रमाण–पत्रों में दी गयी मान्यता की अवधि समाप्त हो चुकी है तथा विद्यालयों का संचालन जारी है ।

निदेशालय द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि राज्य में आरटीई अधिनियम, 2009 एवं नियम, 2011 लागू होने से पूर्व के मान्यता प्राप्त विद्यालयों (प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च माध्यमिक) को उनके द्वारा प्रस्तुत स्वघोषणा पत्र के आधार पर जारी किए गए आरंटीई मान्यता प्रमाण – पत्रों पर अंकित अवधि भी समाप्त हो चुकी है तथा इन विद्यालयों का संचालन हो रहा है । इन विद्यालयों में से भी अधिकांश विद्यालय आरटीई के मान व मानक पूरे करते हैं ।

वर्तमान में विद्यालयों के संचालन में आ रही समस्याओं के सम्बन्ध मे निदेशालय द्वारा आवश्यक दिशा–निर्देश एवं मार्गदर्शन चाहा है, जिससे कि आरटीई के मान व मानक पूरे करने वाले सभी गैर सरकारी विद्यालयों को स्थाई मान्यता जारी करने संबंधी कार्यवाही निष्पादित की जा सके ।

इस संबंध मे निम्नांकित निर्देश प्रदान किए जाते हैं :–

1. जिन विद्यालयों को राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था(मान्यता, सहायता एवं सेवा शर्तें) (संशोधित) नियम, 2011 के अधिसूचित होने के बाद नवीन मान्यता दी गई है वह स्थाई है अतः ऐसे सभी विद्यालयों को स्थाई मान्यता आदेश जारी कर दिए जावें।

2. इन संशोधित नियमों के लागू होने से पूर्व से संचालित जिन गैर–सरकारी विद्यालयों ने स्वघोषणा (प्रारूप–1) में सूचना भर कर सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में जमा करवा दी थी, जिनका निरीक्षण हुआ था तथा निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार मान मानक पूर्ण थे उनकी मान्यता स्थाई मानी जावे तथा ऐसे आदेश जारी किए जावें ।

3. जिन विद्यालयों ने प्रारूप–1 में सूचना भरी थी तथा निरीक्षण में मान व मानक पूर्ण नहीं थे उनके मान व मानकों की पुनः पुष्टि कर मान व मानकों के अपूर्ण पाए जाने पर मान्यता समाप्ति के आदेश जारी किए जावें ।

4. जिन विद्यालयों ने आरटीई की मान्यता हेतु प्रारूप–1 भर कर सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा नहीं करवाया उनकी मान्यता समाप्ति के नोटिस जारी कर अग्रिम कार्यवाही की जाए।

अतः निर्देशानुसार निवेदन है कि यह समस्त कार्यवाही निदेशालय प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा द्वारा अपने अधीन विद्यालयों के लिए जिला शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से करवाई जाकर इसकी सतत् मॉनिटरिंग किया जाना सुनिश्चित करावें ।

भवदीय,

(उमाशंकर त्रिपाठी)
वरिष्ठ शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, राज्यमंत्री(स्वतंत्र प्रभार),स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. निजी सचिव, शासन सचिव–स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर ।
3. अध्यक्ष / सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर ।
4. आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, शिक्षा संकुल, जयपुर ।
5. श्री विनोद जैन, तकनिकी निदेशन , एनआईसी, शिक्षा संकुल, जयपुर।
6. राज्य समन्वयक, पीएसपी–सीसी, शिक्षा संकुल जयपुर ।
7. रक्षित पत्रावली

वरिष्ठ शासन उप सचिव